श्रेया विद्यार्थी

बनाम

अशोक विद्यार्थी वगै

(सिविल अपील सख्या 3162-3163/2010)

16 दिस्मबर 2015

(न्यायाधिपतिगण रजन गोगोइ व एन0वी रमना)

हिंदू कानून- हिंदू अविभाजित परीवार हिंदू विधवा नियत भूमिका - आयोजित: हिंदु विधवा अपने पति के एच.यू.एफ में एक सहभागीदार नही है और वह अपने पति की मृत्यु के बाद कर्ता के रूप में कार्य नही कर सकती - हिंदू विधवा एक मात्र जीवित नाबालिक पुरूष सहभागीदार की प्रबंधक के रूप में अभिनय कर सकती है- दो अभिव्यक्त कर्ता और प्रबंधक को ऐसे समझे की उसकी भूमिका कर्ता से विशिष्ट है- ऐसे मामले में जहा व्यस्क पुरूष सहभागिदार की मृत्यु हो गई है और कोई पुरूष सहभागिदार जीवित नही है या जहा एकमात्र पुरूष सहभागिदार नाबालिक है, एच.यू.एफ का अंत नही होता है- सहभागिदार पुरूष की माॅ और बतौर कर्ता नाबालिक के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्य कर सकती है - तथ्यों पर प्रतिवादी अपने पिता की मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित पुरूष सहभागिदार था और वह एक नाबालिक था- रिकोर्ड पर मौजूद साम्रगी यह इंगित करती है कि नाबालिक की प्राकृतिक माॅ ने सयुक्त परिवार के मामलो में विनम्र

भूमिका निभाई और सौतेली माॅ ने उक्त मामलों में प्रबंधक के रूप में प्रमुख व सक्रिय भूमिका निभाई और उक्त भूमिका पर प्राकृतिक माॅ द्वारा कोई विरोद्ध नही किया गया- सौतेली माॅ द्वारा सयुक्त परिवार के कोष जैसे की बीमा राशि से बाद सम्पति खरीदी इस प्रकार बाद सम्पति पारीवारीक सम्पति है व उसके उत्तरदाता विभाजन की माग करने के हकदार है और उस आधार पर शेयरो के हको का विभाजन उत्तरदाता और उत्तरदाता की आठवी सौतली गोद ली हुई बेटी के मध्य उच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया है।

अदालत ने याचिकाओ को खारीज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 प्रतिवादी सख्या 2 की मृत्यु के बाद और तत्पश्चात प्रतिवादी सख्या 1 की मृत्यु पर अपिलार्थी को शामिल किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने वकिलें द्वारा उच्च न्यायालय के विभिन्न चरणों की कार्यवाही में भाग लिया था। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि पूरा अवसर अपीलार्थी को गुण दोष पर सुनवाई का दिया गया था। विवादित आदेश को हटा कर मामले को उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचार करने हेतु रिमांड पर लेने का शायद ही कोई ओच्चितय हो । (पेरा न 14) (1200-सी-डी, एफ)

1.2 प्राकृतिक माॅ द्वारा दायर मुकदमे में सौतेली माॅ का हलफनामा ने खुलासा किया है कि वह बतौर प्रबंधक परिवार की व उत्तरदाता सख्या 1

सौतेले बेटे की देखभाल कि है उसे बीमा राशि उसके पति की मृत्यु के बाद मिल गई थी और उस राशि को वाद सम्पति खरीद के लिए उपयोग किया गया था। अपीलार्थी के पूर्ववर्ती हितेशी द्वारा बीमा राशि को वाद सम्पति कि अधिग्रहण बाबत आभासी स्वकृति महत्वपूर्ण है। बीमा राशि पर मृत्क के सभी उत्राधीकारीयो की पात्रता है यद्यपि उक्त राशि सौतेली माॅ द्वारा अपने पति के मनोनीत के रूप में प्राप्त कि गई। (पेरा न 15) (1200-एच,1201-ए,बी,डी)

1.3 यह तथ्य कि पिता की मृत्यु के समय परिवार एक साथ शांति से रह रहा था, वर्ष 1961 में वाद सम्पति के खरीद के बाद लगभग 7 वर्ष्षो तक एक आम निवास का बने रहना कि पूरे परिवार में शंाति का उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में उचित रूप से ध्यान दिया गया है।

सौतेली माॅ के नाम पर विक्रय पत्र का निष्पादन और किसी की अनुपस्थिति में इसका उल्लेख करे की वह सयुक्त की ओर से काम कर रही थी, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की कम उम्र 21 वर्ष के सर्दभ सयुक्त परिवार का सही अर्थ लगाया गया है। जिन वर्षो में सयुक्त परिवार ने सतौली माॅ की प्रमुख स्थिति पर किसी भी आपत्ति को बाधित किया हो व तथ्य अभिलेख पर अन्य साम्रगीयो से भी स्पष्ट है। एक सयुक्त परिवार के अस्तित्व के मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया निष्कर्ष सही है। (पेरा न 16) (1202-इ,जी ,1203-ए,)

1.4 एक हिंदू विधवा एच.यू.एफ में अपने पति की सहभागिदार नही है और इसलिए उसके पति की मृत्यु के बाद कर्ता के रूप में कार्य नही कर सकती है। उन दोनो अभिव्यक्तियों अर्थात कर्ता और प्रबंधक को पर्यायवाची नही समक्षा जा सकता है। और अभिव्यक्ति प्रबंधक की भूमिका कर्ता से विशिष्ट दर्शाने के रूप में समक्षा जा सकता है। काल्पनिक रूप से एच.यू.एफ के मामले को ऐसा लिया जा सकता हेै कि जहा व्यस्क पुरूष सहभागिदार की मृत्यु हो गई है और कोई पुरूष सहभागिदार जीवित नही है या जैसा की हस्तगत तथ्यों में है कि जहा एकमात्र पुरूष सहभागिदार प्रतिवादी नाबालिक है। ऐसी स्थिति मेे विशिष्ट रूप से एच.यू.एफ समाप्त नही होती है। पूरूष सहभागिदार की माॅ नाबालिक की कानूनी सरक्षक के रूप में कार्य कर सकती है। (पेरा न 18) (1203-जी.एच,1204-ए,बी)

1.5 तत्काल मामले में आर.वी. प्रतिवादी की सौतेली माॅ थी जो अपने पिता की मृत्यु के समय नाबालिक थी । उत्तरदाता अपने पिता की मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित पुरूष सहभागिदार था। अभिलेख पर मोैजूद साम्रगी अंकित करती है कि प्रत्यार्थी की स्वाभाविक माॅ सयुक्त परिवार के मामले में विनम्र भूमिका निभाती थी और सौतेली माॅ ने उक्त मामलो में सक्रिय व प्रभुख भूमिका निभाई। सौतेली माॅ की उक्त भूमिका का विरोद्ध प्राकृतिक माॅ द्वारा नही किया गया है इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से उत्तरदाता की सौतेली माॅ के रूप में अपनी क्षमता को समक्षा जाता है और इसलिए कानून के अनूरूप एक हिंदू विधवा को एच.यू.एफ के एकमात्र

जीवित नाबालिक पुरूष सहभागिदार के सरक्षक के रूप में उसकी क्षमता में प्रबधक नियुक्त करता है। इस तरह की भूमिका अनिवार्य रूप से कर्ता से अलग किया जाना चाहिए जो कि हिंदू विधवा अपने पति के एच.यू.एफ में किसी पद को ग्रहण नही कर सकती है व एक सहभागिदार होने के कारण अयोग्यता के गुण पर ग्रहण नही कर सकती है। अफसोस की बात है कि हिदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन के बाद भी स्थिति अपरिवार्तित हैै। (पेरा न 20) (1204-एफ,एच,1205-ए,सी)

1.6 उच्च न्यायालय द्वारा की गई वाद सम्पति में पक्षकारो के शेयरो के विभाजन में किसी भी अवैधता या दूर्बलता जाहिर नही है जिससे उसमें कोई सुधार की जरूरत हेा। अभिनिर्धारित और उचित रूप से वाद सम्पति एक सयुक्त परिवारीक सम्पति थी जिसमें प्रतिवादी द्वारा इसके विभाजन की मांग करने का अधिकारी है और उस आधार पर मुकदमें की सम्पति में शेयरो का विभाजन प्रत्यार्थी और वाद लडने वाला आठवा प्रतिवादी के मध्य था जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से बाद में मांगी गई राहत के अनुक्रम में राहत मांगी गई।(पेरा न 23) (1205-जी,एच,1206-ए)

श्रीमती सरबती देवी एवं अन्य। वी. श्रीमती उषा देदवी 1984 (1) एससीसी 424: 1984 (1) एससीआर 992; आयकर आयुक्त वी सेठ गोविंदराम शुगर मिल्स लिमिटेड एआईआर 1966 एससी 24: 1965

एससीआर 488: संपदा शुल्क नियंत्रक, मद्रास वी, अल्लादी कुप्पुस्वामु 1977 (3) 385 : 1977 (3) एससीआर 721; सुशीला देवी रामपुरिया वी आयकर अधिकारी और अन्य एआईआर 1959 कैल 697- संदर्भित

केस कानून संदर्भ

1984 (1)	एससीआर 992	पैरा15
1965	एससीआर 488	पैरा 17
1194	सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 2015	14 एस.सी.आर
1977(3)	एससीआर 721	पैरा 17
एआईआर	1959 कैल 697	पैरा 18

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय: सिविल अपील नम्बर 3162-3163/2010

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रथम अपील व सिविल विविध आवेदन नम्बर 262907 की 693/1987 के निर्णय व आदेश दिंनाक 24.11.2009 और दिंनाक 12.8.2009 से

जेड.एम न्याक वरिष्ठ अधिवक्ता, सतीश विथ विकास सचदेव , आशूतोष शर्मा, अपीलार्थी के अधिवकर्ता।

एस.बी उपाध्धाय वरिष्ठ अधिवक्ता। वेजेंद्र निगम , वाइ.के.एस चैहान, सुश्री कुमुध लता दास, वी.सुशांत गुप्ता, डाॅ कैलाशचंद- अधिवक्ता प्रतिवादी।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति रजंन गोगोई द्वारा दिया गया था।

1. अपीलार्थी वाद संख्या 630/1978 जो कि प्रथम उत्तरदाता यहा पर वादी ने दायर किया है में आठवे प्रतिवादी है। विचारणीय नयायालय द्वारा प्रस्तुत वाद जिसमें स्थाई निषेघाज्ञा व वैकल्पिक रूप में हिस्से का विभाजन मागा गया था को खारीज किया गया। अपील में उच्च न्यायालय में विचारणीय न्यायालय के आदेश को उलट दिया प्रतिवादी - वादी को मुकदमें का फैसला सुनाया व यह घोषणा की वह मुकदमें की सम्पति मंे तीन चैथाई हिस्से का हकदार है अर्थात घर संख्या 7/89 तिलक नगर कानपुर,जबकि अपीलार्थी -प्रतिवादी उक्त सम्पति में शेष एक चैथाई हिस्से का हकदार है। व्यथित होकर यह अपीले दायर कि गई है।

2 प्रासंगिक तथ्य जिनपर ध्यान दिया जाना चाहिए यहा नीचे लेखबद्ध किए गए है।

वर्ष 1937 एक हरिशकंर विद्यार्थी ने सावित्री विद्यार्थी, प्रतिवादी की माॅ - वादी ने शादी की । इसके बाद वर्ष 1942 में हरिशकंर विद्याार्थी ने रामाविद्यार्थी से दूसरी शादी की । इनमें से उपरोक्त दूसरी शादी से दो बेटीया अर्थात शरीलेखा विद्यार्थी व मध् लेखा विद्यार्थी, प्रतिवादी 1 व 2 का जन्म 1978 में हुआ था। अपीलार्थी- आठवी प्रतिवादी श्रेया विद्यार्थी, श्रीलेखा विद्यार्थी मृत होने के बाद से गोद ली हुई बेटी है और मधु लेखा विद्यार्थी द्वारा छोडी गई वसीयत की उत्तरदाधिकारी भी है ।

3 वर्तमान मामले में विवाद इस पर इर्द गिर्द घुमता है कि वाद सम्पति जैसे की उपर वर्णित है, राम विद्यार्थी द्वारा सयुक्त परिवार के कोष से या अपने व्यक्तिगत कोष से दिंनाक 27.9.1961 में विक्रय विल्लेख द्वारा खरीदी गई थी। मुकदमें की सम्पति पक्षों के बीच कई पिछले मुकदमो में शामिल थी जिसके विचारण पर करीब नजर की आवश्यकता हो सकती है।

4 वर्ष 1968 मुकदमा सख्या 147-1968 दायर किया था । जिसमें सावित्री विद्यार्थी, प्रतिवादी की मा- वादी ने यह तर्क दिया कि वाद सम्पति सयुक्त परिवार के कोष से खरीदी जा रही है । जिसमें रामा के बेटियों के खिलाफ एक फरमान पारीत किया जाना चाहिए कि उसके कब्जे में सम्पति पर उनके द्वारा कोई हस्तकक्षेप नही किया जावे। यह वाद आदेश 8 नियम 11 सी.पी.सी के प्रावधानो के तहत आवश्यक न्यायसुल्क का भुगतान करने में विफलता के कारण खारीज किया गया। उक्त वाद में प्रतिवादी - वादी ने दिंनाक 24.2.1968 में एक हल्फनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उसने जानबूझकर वाद सम्पति में यदि कोई ब्याज हो, अपने सभी अधिकारो को त्याग दिया था । उक्त शपथ पत्र के वास्तविक पठन से पता चलता है कि इस तरह का त्याग केवल रामा देवी के हिस्से के संबंध मे था। अपीलार्थी की बहस के दौरान अपीलार्थी कि ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र निर्भरता रखी गई । उपरोक्त स्थिति के अनुरूप प्रतिवादी - वादी द्वारा मुकदमा संख्या 21/70/1976 दायर कर सयुक्त परिवार की सम्पतियों के विभाजन की मांग की गई । उक्त मुकदमा फिर

से आदेश 8 नियम 11 सी.पी.सी के प्रावधानो के तहत आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान नही करने पर खारीज कर दिया गया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि राम विद्यार्थी, अपीलार्थी वर्तमान अपीलार्थी के पूर्ववर्ती हितकर द्वारा वशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 तहत मुकदमा सख्या 37/1969 दायर कर वाद सम्पति के दो कमरो के कब्जो की वसूली बाबत दायर किया गया। उपरोक्त वाद के लम्बित रहने के दौरान रामा विद्यार्थी का निधन हो गया था। उपरोक्त वाद, वादी के कानूनी अधिकारीयों के पक्ष में मुकदमें का आदेश पारीत किया गया।

5 यह उपरोक्त तथ्य स्थिति में है कि जिस वाद में से वर्तमान अपीले उत्पन्न हुई है वह वाद सख्या 630/1968 है जो कि वर्तमान प्रत्यार्थी द्वारा दायर किया गया था। जिसमें बतौर पक्षकार वादी शरीलेखा विद्यार्थी और मधु विद्यार्थी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बनाया गया और पहले वाली राहत कि माग की गई ।

6 मुकदमें में वादी द्वारा निवेदन किया गया कि विशिष्ट मामला यह था कि वादी के पिता हरीशंकर विद्यार्थी की मृत्यु दिंनाक 14.3.1955 को हो गई थी। वे अपने पीछे दो विधवाओ यानी सावित्री विद्याथी- पहली पत्नी और राम विद्यार्थी - दूसरी पत्नी को छोड गए। वादी के अनुसार दूसरी पत्नी अर्थात रामा विद्यार्थी ने पूरा परिवार जो एक साथ रह रहा था के दिन प्रतिदिन के मामलो का प्रबंध किया । वादी ने आगे दलील दी की रामा

विद्यार्थी ने हरीशंकर विद्यार्थी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान ली गई एक बीमा पाॅलीसी के लिए नामाकिंत व्यक्ति थे और वह रूपये 500 मासिक रखरखाव प्रताप प्रेस टस्ट कानपूर से प्रापत कर रहे थे। दायर मुकदमें में यह आगे दलील दी गई कि रामा विद्यार्थी को एक राशि रूपये 33000 बीमा पाॅलिसी से मिले व रूपये राशि 15000 प्रताप पे्रस टस्ट कानपूर से अग्रिम रख रखाव भत्ता के रूप में प्राप्त हुए । यह दावा किया गया था कि उक्त राशि 27.9.1961 पर वाद सम्पति खरीदने के लिए उपयोग कि गई थी इसलिए उन्होने तर्क दिया कि मुकदमा सम्पति सयुक्त परिवार कि सम्पति है जिसे सयुक्त परिवार के धन से खरीदा गया है। वादी ने आगे कहा था कि परिवार के सभी सदस्य जिसमें पहली पत्नी, पहला उत्तरदाता और उसकी दो सौतेली बहने अर्थात शरीलेखा व मधुलेखा विद्यार्थी एक साथ वाद सम्पति में रही। पक्षकारान के मध्य संबंध बिगड गए और वादी -प्रतिवादी और उसकी मा सावित्री विद्यार्थी को मुकदमें सम्पति में प्रवेश करने कि अनुमति नही थी। प्रतिवादी वादी द्वारा पहले प्रतिवादी के खिलाफ बेदखली व स्थाई निषेघाज्ञा और विभाजन के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया गया था।

7 वादी के मुकदमें का शरीलेखा व मधुलेखा दोनो ने इस प्रकार विरोद्ध किया था कि वाद सम्पति उनकी माॅ रामा विद्यार्थी ने अपने स्वयं के धन से खरीदी थी और किसी सयुक्त परिवार के कोष से नही । वास्तव में दो बहने जेा मुकदमें में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के रूप में प्रस्तुत है,

विश्ेाष रूप से किसी प्रकार सयुक्त परिवार के अस्तित्व या किसी भी सयुक्त परिवार निधि की उपलबधता से इनकार करती है।

8 टायल कोर्ट द्वारा कई कारणों का हवाला देते हुए आदेश दिंनाक 19.8.1997 के आदेश से मुकदमा खारिज कर दिया। तथ्य यह है कि प्रत्यार्थी वादी दिनाक 27.9..1961 मे विक्रय विल्लेख का एक परमानक गवाह था। जिसके द्वारा वाद सम्पति रामा विद्यार्थी के नाम पर खरीदी गई थी। विक्रय विल्लेख में सयुक्त परिवार का कोई उल्लेख नही था व रामा विद्यार्थी उक्त वाद सम्पति को सयुक्त परिवार के प्रतिनिधित्व के रूप में खरीदी गई हो का भी उल्लेख नही है। विधवान विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि वर्ष 1955 में जब हरिशकंर विद्यार्थी का निधन हुआ था तब असतित्व में कोई सयुक्त परिवार नही था और जब तक की वह 1960-61 में वाद सम्पति क्रय नही कि गई थी तब तक वास्तव में कोई दावा किसी भी सयुक्त परिवार की सम्पति का नही उठाया गया था। विचारण न्यायालय का यह भी विचार था क परिवार के अन्य सदस्यों को बीमा राशि पर कोई हकदार होने का कोई दावा किया जाना चाहिए था। मुकदमा वाद खारिज होने से व्यथित होकर प्रतिवादी- वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कि है।

9 कुछ तथ्य और घटनाए जो अपील उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लम्बित होने के दौरान हुइ थी कि विशिष्ट सूचना कि आवश्यकता

होगी जो कि वर्तमान अपील में हमारे समक्ष अपीलर्थी द्वारा प्रस्तावित मामले में एक अंग के आधार में पेश कि है। अर्थात उच्च न्यायालय का आदेश एक तरफा आदेश है जो कि अपीलर्थी के लिए कानूनी अभिवावक नियुक्त किए बिना पारीत किया गया जिस कारण से उक्त आदेश को अलग करना आवश्यक है और मामले को उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया गया ।

10 पहला महत्वपूर्ण तथ्य जिसपर ध्यान दिया जाना चाहिए यह है कि अपील की विचाराधीनता और अपीलार्थी का अभियोग के लम्बित होने के दौरान आदेश दिनाक 31.8.2007 से अपीलर्थी को बतौर आठवा प्रतिवादी बनाया गया। यह इस आधार पर था कि अपीलर्थी मृत्क मधुलेखा का एकमात्र उत्ताधिकारी है हालाकि यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिंनाक 10.10.2007 के माध्यम से वापस लिया गया । अगला महत्वपूर्ण तथ्य जिसके नोटिस की आवश्यकता है वह यह है कि उसकी मा श्री लेखा विद्यार्थी की मृत्यु के बाद अपीलर्थी प्रतिवादी ने स्वयं अपील को आगे बढाने के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें दिंनाक 16./18.05.2009 को एक आदेश पारीत किया गया था कि अपीलार्थी पहले से ही कार्यवाही में उसके वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर चुका है। हालाकी उक्त आदेश द्वारा विद्वान वकिल को अपीलार्थी से ताजा वकालतनामा प्राप्त करने की स्वतंत्रात दी गई थी। हालाकि ऐसा नही किया गया। उपरोक्त तथ्य स्थिति में उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार अपील पर विचार करने

के लिए आगे बढै और विचार के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वकिल श्री ए.के.श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत कर व मृत्क श्रीलेखा विद्यार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क पर निर्णय पारीत किया गया । इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा अन्य बातों के साथ साथ यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारीत आदेश में उनकी ओर से किसी भी अविभावक कि नियुक्ति के बिना आदेश पारित किया गया।

11 जहा तक अपील के गुण दोषो का सबंध है उच्च न्यायालय ने यह विचारर व्यक्त किया कि उसके समक्ष तथ्यों पर एक सयुक्त परिवार था। जिसमें दूसरी पत्नि रामा विद्यार्थी एक प्रमुख भूमिका निभाई और यह कि वाद सम्पति सयुक्त परिवार के निधि अर्थात बिमा राशि और प्रताप प्रेस टस्ट से प्राप्त अग्रिम राशि से खरीदा गया। जहा तक शेयरो के हस्तातरण का संबंध है उच्च प्न्यायालय ने यह मद व्यक्त किया कि हरि कि मृत्यु के बाद शकर विद्यार्थी एकमात्र जीवित पुरूष उत्ताराधिकारी के रूप में प्रत्यार्थी - वादी के सम्पति के पचास प्रतिशत का हकदार बन गया और शेष पचास प्रतिशत हरिशंकर विद्यार्थी कि पत्नियों में समान अनुपात मेंे विभाजन किया जाना था। दूसरी पत्नि की बेटीयोे के रूप में शरीलेखा व मुधुलेखा विद्यार्थी अर्थात वाद में प्रतिवादी स0 1व 2 के हिस्से का रामा विद्यार्थी के वाद सम्पिति का 25 प्रतिशत हकदार होगा । उनकी मृत्यु होने पर अपीलार्थी उक्त 25 प्रतिशत का हकदार होगा। जबकि श्ेाष 25 प्रतिशत हिस्सा पहली पत्नि के बच्चें को मिलेगा।

12 उच्च न्यायालय का उपरोक्त आदेश दिनाक 12.8.2009 अपीलार्थी वापस बुलाए जाने का प्रयास किया गया था- आठवे प्रतिवादी ने उक्त प्रभाव के लिए एक आवेदन दायर किया जो उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिंनाक 24.11.2009 द्वारा खारीज कर दिया । दोनो उपरोक्त आदेशेा को चुनौती देने हेतु उच्च न्यायालय में वर्तमान अपीले दायर कि है।

13 पक्षों के लिए विद्वान सलाहकारों को सुनने के बाद हमे लगता हेै कि इनमें निधारण के लिए मुख्य रूप से दो मुददे उत्पन्न होते है। पहला यह है कि क्या उच्च न्यायालय का आदेश 24.11.2009 सही था व दूसरा सवाल कि क्या यदि अपीलार्थी ने वास्तव में एक तरफा कार्यवाही कि गई जिससे उक्त आदेश का प्रतिपादन किया गया जो कि कानून मे असमर्थनीय है व पूर्ण विचार के लिए उच्च न्यायालय को आदेश को प्रषित किया जाना चाहिए ।

14 विस्तृत तथ्य जिनमें अपीलार्थी- 8 प्रतिवादी को मधु लेखा विद्यार्थी- प्रतिवादी स0 2 की मृत्यु के बाद में शामिल किया गया था और शरीलेखा विद्यार्थी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है को देखा गया । उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिंनाक 24.11.2009 में दर्ज किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकरणों में उच्च न्यायलय के समक्ष अपीलार्थी ने भाग लिया है इसलिए कोई पलायन नही हैं। यह निष्कर्ष की अपील में पारीत आदेश एक तरफा आदेश नही था जिसे कानून में समझने की

आवश्यकता थी। अपीलार्थी से ही मधुलेखा के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज था और एक वकिल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। उच्च न्यायालय ने उक्त सुनवाइ व दायर लिखित तर्को पर विचार करने पर अपना अंतिम आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाक 24.11.2009 में कहा है कि यह देखा गया कि मामले में अपीलार्थी को गुण दोष पर सुनवाई का पूरा अवसर दिया था । हमसे पहले भी अपीलार्थी को विस्तार से सुना जा चुका है। इन परिस्थित में मामले में विवादित आदेश को दरकिनार करके नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को रिमाण्ड पर लेने का शायद ही कोई औचित्य हो।

15 जहा तक की उच्च न्यायालय के आदेश के गुण अवगुण का सवाल है मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वाद सम्पति रामा विद्यार्थी द्वारा सयुक्त निधि से क्रय कि गई थी या स्वयं के धन से । वाद नं0 147/1968 में रामा विद्यार्थी के हलफनामा जो कि सावित्री विद्यार्थी द्वारा दायर किया गया में जाहिर है कि वह परिवार की देखबाल कर रही थी व बतौर प्रतिबंधक प्रतिवादी स0 1 उसका सौतेला पुत्र हरिशकंर विद्यार्थी का पहला बेटा है। हलफनामें में यह भी स्वीकार किया गया है कि उनहे हरिशंकर विद्यार्थी की मृत्यु के बाद बिमा राशि मिली थी और उसी का उपयोग अन्य निधियों के साथ जो उसने दम पर जुटाई थी पर वाद सम्पति की खरीद की थी। पूर्ववर्ती द्वारा आभासी प्रवेश के हित में उपरोक्त शपथ पत्र महत्वपूर्ण है। उक्त राशि को सभी उत्तराधिकारी अधिकृत है जो कि रामा विद्यार्थी को बतौर

अपने पति के नामित प्राप्त हुई। इस न्यायालय द्वारा विचार व्यक्त किया गया जो कि नीचे दिया हुआ है।

> ‘‘12. इसके अलावा एक और मजबूत परिस्थिति है जो हमे अन्य निर्णयों के विपरीत दृष्टीकोण लेने से रोकती है। उच्च न्यायालय और हाल के दो फैसलो में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार करते हुए यह अधिनियम वर्ष 1938 से लागू है। और भारत के लगभग सभी उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि धारा 39 के तहत उत्तराधिकारीयों को केवल एक नामाकंन उनके अधिकार से वचिंत नही कर सकता है।
>
> फिर भी सासद ने अधिनियम में संशोधन में कोई निर्णय नही लिया है। ऐसी स्थिति में जबतक की यह मानने के लिए मजबूर व बाध्य कारी कारण नही हो कि ये सभी निर्णय पूरी तरह गलत है । न्यायालय उक्त पर धीरे से विचार करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण अविश्धसनीय है। इसलिए हम मानते है कि फौजी सिह मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय और उमासहगल मामला कानून को सही ढग से निधारित नही करता है। इसलिए उन्हे खारीज कर दिया जाता है। हम

अधिनियम की धारा 39 के अर्थ पर अन्य उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार स्वीकार करते है और यह मानते है सिर्फ अधिनियम की धारा 39 के तहत नामाकन किए जाने से नामित पर आश्वस्त व्यक्ति की मृत्यु पर जीवन बीमा पालिसी के तहत देय राशि मे किसी भी लाभकारी ब्याज के प्रभाव नही पढते। नामांकन केवल यह इंगित करता है कि जो राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत है जिसको भुगतान पर पा ॅलिसी के तहत अपने दायित्व का निर्वाहन बिमा कर्ता को वैद्य मिलता है। तथापि कानून के अनुसार आश्वासन दिया गया कि राशि का दावा उत्तराधिकारीयो द्वारा किया जा सकता हेै। ''

16 तथ्य यह है कि हरिशंकर विद्यार्थी के निधन के समय परिवार शान से एक साथ रह रहा था। वर्ष 1961 में वाद सम्पति खरीदने के बाद लगभग 7 वर्षो तक इस तरह के सामान्य निवास बने रहे व पक्षों के बीच कोई कलह नही थ्ज्ञी और शांति थी व पूरे परिवार में भी उचित रूप से एक सयुक्त परिवार के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान रखा गया था। रामा विद्यार्थी के नाम पर ंिदनाक 27.9.1961 विक्रय विल्लेख का निष्पादन व अन्य सामग्रीयों से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा वादी- प्रतिवादी कम उम्र 21 वर्ष बाबत सही समझाा गया है कि इस बात का कोई उल्लेख नही है कि वह सयुक्त परिवार के ओर से

कार्य कर रही थी । तदनुसार उच्च न्यायालय द्वारा किए गए सयुक्त परिवार के अस्तित्व के मुद्दे पर किए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नही रह जाता है।

17 रामा विद्यार्थी कैसे एच.यू.एफ में कैसे कर्ता के रूप में कार्य कर सकते थे इस न्यायालय के निर्णय आयकर बनाम सेठ गोविंदरम सुगर मिल लिमिटेड को देखते हुए यह माना है कि एक हिंदू विधवा एक एच.यू.एफ कि कर्ता के रूप में कार्य नही कर सकती है । जो कानून में केवल उन पुरूषो को भूमिका सौपी थी जो अकेले सहभागिदार हो सकते थे। (हिंदू उत्तराधिकार के संशोधन से पहले 2005 के अधिनियम में)। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय स्टेट डयूटी नियत्रण मद्रास बनाम अल्लादीन कूकू स्वामी पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी वादी के पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया जिसमें जब महिला सम्पति अधिकार अधिनियम 1937 लागू था एक हिदू विधवा को प्राप्त अधिकार और मृत पति द्वारा सहभागिदार के रूप में प्राप्त सभी अधिकारों के समान माना गया । यद्यपि वे समय से बाध्य अर्थात विधवा के जीवनकाल और बिना किसी आधार या शक्ति के हम वर्तमान मामले में निर्णय के अनुपात के परियोज्यता में जाना आवश्यक नही समझतें। उपरोक्त मामले में सहअधिवेशन में एक हिंदू विधवा की स्थिति और सह अधिवेशन में उसका अधिकार उसके मृत पति के हित की सीमा तक की सम्पति तक सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 के वशिष्ट प्रावधानो

के सर्दभ में विचार किया गया था। वर्तमान में उत्पन्न होने वाले मुददे को कुछ अलग दृष्टीकोण से जवाब देने कि आवश्यकता हेै।

18 जबकि इसमें कोई संदेह नही हो सकता है कि एक हिदू विधवा अपने पति के एच.यू.एफ में सहभागिदार नही है। और इसलिए अपने पति की मृत्यु के बाद एच.यू.एफ के कर्ता के रूप में कार्य नही कर सकती है। दो अभिव्यक्तिया कर्ता और प्रबंधक को इस प्रकार समझाा जाता है कि यह प्रर्यायवाची नही है और अभिव्यक्त प्रबंधक को कर्ता से एक अलग भूमिका के रूप में समझा जा सकता है। काल्पनिक रूप से हम एच.यू.एफ का मामला ले सकते है जहा एकमात्र पुरूष सहभागिदार (प्रतिवादी- वादी अशोक विद्यार्थी) नाबालिक है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से एच.यू0 एफ समाप्त नही होती है। पुरूष सहभागिदार की माॅ नाबालिक के कानूनी अविभावक के रूप में कार्य कर सकती है व उसकी देखबाल भी कर सकती है। ऐसी स्थिति पाई गई है और हमारी राय आयकर अधिनियम के प्रावधाने के संर्दभ में प्रस्तुत किया गया कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सुशिला देवी रामपुरिया बनाम आयकर अधिकारी में ठीक माना है और अधिनियम के तहत मूल्याकंन के लिए ऐसे एच.यू.एफ के दायित्व का निर्धारण किया है। सयोंग से उपरोक्त निर्णय सेठ गोविंदराम बनाम शुगरमिल लिमिटेड कलकत्ता उच्च न्यायालय को देखा गया ।

19 कानून का एक समान प्रस्ताव चंदसिह और वगै0 मे भी पाया जाता है । हालाकि फिर से थोडा अलग सदर्भ में उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि प्रबंधक शब्द कानून के अनुरूप होगा यदि इसके साथ माॅ को प्राकृतिक सरक्षक के रूप में समझा जाए।

20 वर्तमान मामले में रामा विद्यार्थी प्रतिवादी की मा वादी आशोक विद्यार्थी की सौतेली मा थी जो अपने पिता हरिशंकर विद्यार्थी के मृत्यु के समय नाबालिक थी। हरिशंकर विद्यार्थी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी वादी एकमात्र जीवीत पुरूष सहभागिदार था। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से सकेत मिलता है कि अशोक विद्यार्थी की स्वाभाविक माता श्रीमति सावित्री विद्यार्थी ने एक सयुक्त परिवार के मामलो में विनम्र भूमिका निभाई और सौतेली मा रामा विद्यार्थी, हरिशंकर विद्यार्थी की दूसरी पत्नी ने उक्त मामले में प्रबंध में एक सक्रिय व प्रमुख भूमिका निभाई थी। रामा विद्यार्थी की उपरोक्त भूमिका का विरोध प्राकृतिक माता सावित्री विद्यार्थी द्वारा नही किया गया था इसलिए यह समझा जाए की वे प्रतिवादी वादी अशोक विद्यार्थी की सौतेली मा हैऔर इसलिए कानूनी स्थिति के अनुरूप जो एक हिदू को मानयता देता है विधवा ने अपनी क्षमता में एच.यू.एफ के एक मात्र जीवित नाबालिक सहभागिदार का सरक्षक प्रबंधक के रूप में कार्य किया । इस तरह कि भाूमिका को अनिवार्य रूप से कर्ता से अलग करना होगा जो कि हिंदू विधवा अपनी पति की एच.यू.एफ मे सह भागिदार के हक से वछित रहने के पद को धाराण नही कर सकती है। अफसोस की बात यह है कि

हिदू उत्तराधिकार अधिनियम के 2005 के सशांेधन के बाद भी स्थिति अपरिवार्तित बनी हुई है।

21 उपरोक्त के आलोक में हम विचारधीन मुददे पर उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष पर कोई त्रुटि नही पा सकते है ।हालाकि उपरोक्त निष्कर्ष के हमारे कारण कुछ अलग है।

22 अलग होने से पहले हम ध्यान दे सकते है कि पूर्व मुकदमें की सम्पति से जुडे पक्षों के बीच पहले कि मुकदमें बाची 630/1978 से मुकदमें की रखरखाव क्षमता प्रभावित नही होगी। रामा विद्यार्थी द्वारा दायर मुकदमा नम्ब्र 37/1968 धारा 6 वशिष्ट अधिनियम के अन्तर्गत था जबकि बाद नम्बर 147/1968 पहली पत्नि द्वारा दायर किया गया जो कि आदेश 8 नियम 11 सी.पी.सी के तहत न्याय सुल्क का भुगतान नही करने पर खारीज किया गया। इन परिस्थितयों में जो वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है अर्थात वाद सख्या 630/1968 आदेश 8 नियम 13 सी.पी.सी स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य है।

23 उपरोक्त चर्चित उच्च न्यायालय द्वारा वाद सम्पति में शेयरों का विभाजन हमारे द्वारा किसी भी सुधार को उचित ठहराने के लिए किसी भी अवैधता या दुर्बलता का खुलासा नही करता हेै। यह हमारा सुविचारीत अभिनिर्धारित और उचित दृष्टिकोण है कि वाद सम्पति एक सयुक्त परिवार कि थी । प्रतिवादी वादी को उसकी विभाजन मागने का हकदार पाया गया

और उस आधार पर वादी प्रतिवादी आठवा प्रतिवादी के बीच सम्पति के शेयर का विभाजन मुकदमें में मागी गई राहतो के अनुसार सही बनाया गया था।

24 उपरोक्त कारणों से हम इन अपीलो में कोई योग्यता नही पाते है व उन्हे तदअनुसार खारीज किया जा रहा है। हालाकि मामलो के तथ्योे में हम पक्षो को खुद की लागत सहन करने के लिए छोड देते हेै।

याचिकाए खारीज कर दी गई।

निधि जैन

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक योगेश भारद्वाज (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकारों को उनकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है। इसे अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में नही लिया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।